		determining the age limit
		shall be the last date upto
		which the Employment
		Exchange is asked to submit
		names. In case post is
		advertised in Employment
		News/Newspaper the crucial
		date for determining the age
		limit shall be last date upto
		which applications have been
		called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent	Not Applicable	Two years	Direct recruitment
from recognised Board.			

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for	Consultations with Union
	confirmation); consisting of:	Public Service Commission
	1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman	not necessary
	2. Under Secretary (Administration) —Member	
	3. Section Officer —Member	!

[F.No. A-12018/03/2016-Adm.III]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.325.— राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (स्टाफ कार ड्राईवर) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में स्टाफ कार चालक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना.— ये नियम इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ-1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- **3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **5. निरर्हता.—**वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद	का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले
				स्तर	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए
						आयु-सीमा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ₹	टाफ कार	01 *	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन पद	लागू नहीं होता
चालक	(विशेष	(2019)	सेवा, समूह 'ख',	स्तर – 6		
श्रेणी)		*कार्यभार के आधार		(35,400-		
		पर परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	•		
		जा सकता है।		1,12,100 (1)		
श्रेणी)		*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	(35,400- 1,12,400 रु.)		

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधी भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धितः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	अवधि, यदि	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा
शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत	कोई हो	भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
	व्यक्तियों की दशा में लागू		
	होंगी		
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। (11)

प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में के ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क	या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से
	-	परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि/प्रोन्नति के सं	बंध में विचार करने	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-		
1. अवर सचिव (प्रशासन)	- अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (स्टाफ कार सेल)	- सदस्य	
3. एक समूह 'क' अधिकारी, नीति आयोग	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	02 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (29,200-92,300 रु.)	अचयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नितः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में के ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के	लिए) लागू नहीं होता।
जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
1. अवर सचिव (प्रशासन) - अध	यक्ष
2. अवर सचिव (स्टाफ कार सेल) - सद	ास्य
3. एक समूह 'क' अधिकारी, नीति आयोग - सद	स्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	03 * (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25500-	अचयन	लागू नहीं होता
	(2019) *कार्यभार के	अननुसचिवीय	81100 रु.)		
	आधार पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नतिः वेतन मेट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में के ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में 9 वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सं	बंध में विचार करने के	लागू नहीं होता।
लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः—		
1. अवर सचिव (प्रशासन)	- अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (स्टाफ कार सेल)	- सदस्य	
3. एक समूह 'क' अधिकारी, नीति आयोग	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	04 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19900- 63200 रु.)	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)

		टिप्पण – आयु-सीमा अवधारित
		करने के लिए निर्णायक तारीख भारत
		में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के
		लिए नियत की गई अंतिम तारीख
		होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो
		असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
		हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति
		जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी
		उपखंड, अंडमान या निकोबार द्वीप
		समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
		लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यकः	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती या पुनः	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
i. उसके पास मोटर कार चलाने की		नियोजन किए जाने वाले	जिसके न हो सकने पर सीधी
विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो।		व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	भर्ती द्वारा
II. मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को			सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए
यानों में गौण त्रुटियां दूर करने की			प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन
योग्यता होनी चाहिए।)			
iii. कम से कम 3 वर्ष मोटर कार चलाने			
का अनुभव हो।			
l v. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण			
वांछनीयः होमगार्ड संरक्षक/सिविल स्वयं सेवक के			
रूप में तीन वर्ष सेवा।			
टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों			
की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
शिथिल की जा सकती है।			
टिप्पण 2 - अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)			
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित			
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के			
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती			
हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी			
की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों			
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन			
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में			
उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

(11)

प्रितिनयुक्ति/आमेलनः नीति आयोग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900रु.) में के ऐसे सवार हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारी में से जो मोटर कार चलाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए जिनके पास मोटर कार चलाने के परीक्षण के आधार पर मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो; जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करने वाला पदधारी या वेतन मेट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900रु.) में समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं।

भूतपूर्व सैनिक

प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें

पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काड़र बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन (3) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता।
निम्नलिखित होंगे:-	
1. अवर सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (स्टाफ कार सेल) - सदस्य	
3. एक समूह 'क' अधिकारी, नीति आयोग - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा III]

अशोक कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 15th October, 2019

- **G.S.R. 325.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 2010, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Drivers in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-
- 1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application.** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.
- 3. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.—** The number of the said posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. **Disqualification.** No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay	Whether selection	Age limit for direct
			Matrix	post or non-	recruits
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car	1* (2019)	General Central	Level-6	Non-selection post	Not applicable
Driver (Special	*Subject to	Service, Group	(Rs. 35400-		
Grade)	variation	'B', Non-	112400/-)		
	dependent on	Gazetted,			
	work load	Non-Ministerial			

Educational and other	Whether age and	Period of probation,	Method of recruitment, whether by
qualifications required for	educational qualifications	if any	direct recruitment or by promotion
direct recruits	prescribed for direct		or by deputation or by absorption
	recruitment will apply in		and percentage of the vacancies to
	the case of promotees		be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or by	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in
deputation or by absorption, grades from	what is its composition	which Union Public
which promotion or deputation or		Service Commission
absorption to be made		is to be consulted in
		making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade-I in	Group 'B' Departmental Promotion	Consultation with
Level-5 in Pay Matrix (Rs. 29200-92300/-)	Committee (for promotion and	Union Public Service
with three years of regular service in the	confirmation) consisting of:-	Commission is not
grade.	1. Under Secretary (Administration) – Chairman;	necessary.
Note: Where juniors who have completed	2. Under Secretary (Staff Car Cell) – Member;	
their qualifying/eligibility service are being	3. A Group 'A' Officer, NITI Aayog – Member.	
considered for promotion, their senior		
would also be considered provided they are		
not short of the requisite qualifying		
/eligibility service by more than half of		
such qualifying /eligibility service or two		
years, whichever is less and have		
successfully completed their probation		
period for promotion to the next higher		
grade along with their juniors who have		
already completed such		
qualifying/eligibility service.		

	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Staff	Car	2* (2019)	General Central	Level-5	Non-selection post	Not applicable
Dri	ver (Grae	de-I)	*Subject to	Service, Group	(Rs. 29200-		
			variation	'C', Non-	92300/-)		
			dependent on	Gazetted,			
			work load	Non-Ministerial			

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver	Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable.
Grade-II in Level-4 in Pay Matrix	(for considering promotion):	
(Rs. 25500-81100/-) with six years	1. Under Secretary (Administration) – Chairman;	
of regular service in the grade or	2. Under Secretary (Staff Car Cell) – Member;	
with a combined service of fifteen	3. A Group 'A' Officer, NITI Aayog – Member.	
years in Staff Car Driver Grade-II		
and Staff Car Driver (Ordinary		
Grade); and have passed the trade		
test, specified by the Government.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car	3* (2019)	General Central	Level-4	Non-selection post	Not applicable
Driver	*Subject to	Service, Group 'C',	(Rs. 25500-81100/-)		
(Grade-II)	variation	Non-Gazetted,			
	dependent on	Non-Ministerial.			
	work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable
(Ordinary Grade) in Level-2 in Pay	Committee (for considering promotion):	
Matrix (Rs. 19900-63200/-) with	1. Under Secretary (Administration) – Chairman;	
nine years of regular service in the	2. Under Secretary (Staff Car Cell) – Member;	
grade and have passed the trade test,	3. A Group 'A' Officer, NITI Aayog – Member.	
specified by the Government.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Staff	4* (2019)	General	Level-2	Not applicable	18-25 years* (Relaxable for
Car Driver	*Subject to	Central	(Rs. 19900-		Government servants upto 40
(Ordinary	variation	Service,	63200/-)		years in accordance with the
Grade)	dependent on	Group 'C',			instructions or orders issued by
	workload.	Non-			the Central Government).
		Gazetted,			Note: The crucial date for
		Non-			determining the age-limit shall
		Ministerial.			be the closing date for receipt of
					applications from candidates in
					India (and not the closing date
					prescribed for those in Assam,
					Meghalaya, Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Ladakh
					Division of Jammu and Kashmir
					State, Lahaul and Spiti district
					and Pangi Sub Division of
					Chamba District of Himachal
					Pradesh, Andaman and Nicobar
					Islands or Lakshadweep).
					* If the 'direct recruitment' is to
					be made by 'direct open
					competitive examination', the
					age limit would be 18-27 years.

(7)	(8)	(9)	(10)	
Essential:	Not applicable	Two years for	Deputation/absorption	
(i) Possession of a valid driving license for		direct recruits or	failing which by direct	
motor cars;		re-employed.	recruitment.	
(ii) Knowledge of motor mechanism (The			For Armed Forces	
candidate should be able to remove minor-			Personnel: Deputation/	
defects in vehicle);			re-employment.	
(iii) Experience of driving a motor car for at				
least three years; and				
(iv) Pass in 10 th standard.				
Desirable:				
Three years' service as Home Guard/Civil				
Volunteers.				
Note 1: The qualification regarding				
experience is relaxable at the discretion of				
the competent authority.				
Note 2: In the case of candidates belonging				
to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes				
if at any stage of selection, the competent				
authority is of the opinion that the sufficient				
number of candidates with requisite				
experience are not likely to be available to				
fill up the vacancy reserved for them.				

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in Level-1 (Rs. 18000-56900/-) in Pay Matrix in the NITI Aayog who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Level-1 (Rs. 18000-56900/-) in Pay Matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary	Group 'C' Departmental Conformation Committee (for considering confirmation): 1. Under Secretary (Administration) — Chairman; 2. Under Secretary (Staff Car Cell) — Member; 3. A Group 'A' Officer, NITI Aayog — Member.	Not applicable.
qualifications as mentioned in column (7). Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be		

'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.		
[EN] A 12019/02/2016 A J. II		

[F.No. A-12018/02/2016-Adm.III] ASHOK KUMAR, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

(विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2019

सा.का.िन.326.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय उप निदेशक (हस्तिशिल्प), विरष्ठ सहायक निदेशक (हस्तिशिल्प) तथा सहायक निदेशक (हस्तिशिल्प) (समूह 'क' एवं समूह 'ख' राजपत्रित पदों) के भर्ती नियम, 2017, के अधिक्रमण में, जहां तक वे उप निदेशक (हस्तिशिल्प) के पद से संबंधित ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा छोड़ी गई मदों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतदद्वारा वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय में उप निदेशक (हस्तिशिल्प) के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, नामश:-

- 1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.** (1) ये नियम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, उप निदेशक (हस्तशिल्प) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2019 कहे जाएंगे;
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल**.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्टानुसार होंगे।
- 3. भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्टानुसार होंगे।
- 4. अनहता.—कोई भी ऐसा व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह अथवा अनुबंधित विवाह किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा
- (ख) जिसकी पत्नी/पित के जीवित रहते हुए उसने किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह अथवा अनुबंधित विवाह किया हो] उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार संतुष्ट हो कि, ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय कानून के अधीन स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं तो इस नियम के अंतर्गत कार्रवाई से किसी भी व्यक्ति को छूट मिल सकती है।

5. शिथिलीकरण का अधिकार.—जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श में इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।